न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 56 / 22

उनवान

कन्हैयालाल पिता रामनाथ सुवालका निवासी बच्छखेडा – प्रार्थी

बनाम

1.रतनदेवी पत्नि बालू जाट निवासी बच्छखेडा
2.अमित पुत्र कालू जाट निवासी बच्छखेडा
3.संतोषदेवी पत्नि जगदीश जाट निवासी बच्छखेडा
4.सूरजकरण पुत्र जगदीश जाट निवासी बच्छखेडा
5.पन्ना पिता रामनाथ जाट निवासी बच्छखेडा
6.मु. जस्सु पत्नी देबीलाल जाट निवासी बच्छखेडा
7.मु. सोहनी पत्नी गोपाल जाट निवासी बच्छखेडा
8.मु. प्रेमदेवी पत्नी बन्ना जाट निवासी बच्छखेडा
9.मिश्री पिता धन्ना नाथ निवासी बच्छखेडा
10. बालू पिता छोगा जाट निवासी बच्छखेडा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री जयन्त ओझा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 21 / 06 / 2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **बच्छखेडा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 3075 रकबा 0.46 है0** कुल किता **1** रकबा **0.46** हैक्टेयर के खातेदार प्रार्थी खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 10** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बच्छखेडा 2076 से 2079 तक** का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्राथीगणो **के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बच्छखेडा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **1 रकबा 0.46 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500 रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21 / 06 / 2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा